न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

वाद सं0—RM 07 / 2016 धारा–242 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम

बलदेव सिंह मुण्डा वगैरहआवेदक।

बनाम

कुंजो महतो वगैरह.....विपक्षी।

15.09.2020

वाद का वर्ष 1955 ई0 को फाईनल डिकी दिनांक 11/10/1955 ई0 को जिसमें सिडियूल बी प्रतिवादी के शेयर में मिला है। विपक्षी विवादित जमीन को सन् 03/08/1952 ई0 को सादा हुकुमनामा से प्राप्त करने की बात करते है, जो सरासर गलत है। विपक्षी के द्वारा छो0 का0 अधि0 की धारा–240 का उल्लंघन किया गया है। उन्होने छो0 का0 अधि0 की धारा–242 के तहत भूमि को वापसी हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक के द्वारा अपने समर्थन में निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया है :--

1. आर0 एस0 खतियान की छायाप्रति।

2. आर० एस० खेंवट संख्या-5 की छायाप्रति।

विपक्षी का कारण पूच्छा

विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने कारण पृच्छा में निम्न उल्लेख किये है:--

1. यह है कि खेंवट संख्या—5 के खेंवटदार जगरनाथ सिंह मुण्डा ने जगवन्धु महतो ,हरि महतो एवं लखन महतो पिता—स्व0 देव लाल महतो को सन् 03/08/1952 ई0 को 99/- (निनानब्बे) रूपये सलामी/नजराना लेकर मौजा—डमारी, थाना—बुण्डू थाना— संख्या—16, खाता संख्या—17 प्लॉट संख्या—70, रकवा—31 डी0 एवं प्लॉट संख्या—71 रकवा—23 डी0 जमीन को सादा दोवामी रैयती बन्दोवस्ती प्राप्त किये है। सन् 1980 ई0 तक लगान मी दिये है। वंशावली निम्न प्रकार है:— देवलाल महतो के तीन पुत्र जगवन्धु महतो वो हरि महतो वो लखन महतो हुए। जगवन्धु महतो के दो पुत्ररोहिना महतो वो भूषण महतो हुए। रोहिना महतो के पुत्र जीतेन्द्र महतो हुए एवं भूषण महतो के पुत्र घासी महतो हुए। हरि महतो के चार पुत्र इन्द्रा महतो वो भुता महतो वो रुसन महतो वो महादेव महतो उर्फ लुन्दु हुए। इन्द्रा महतो के दो पुत्र रामेश्वर महतो वो राधा नाथ महतो हुए। 2. यह है कि जमीन्दार के द्वारा स्थायी बन्दोवस्ती किया गया है, जो कि विपक्षी के द्वारा छो0 का0 अधि0 की धारा—240 की उलधन नहीं किया गया है।

3. यह है कि आर0 एम0 वाद संख्या—07/2016 जिसमें विपक्षी नामतः महतो वगैरह है जिसका मौजा—डमारी, थाना—बुण्डू थाना—संख्या—16, जिला—राँची है। यह है कि जगजीवन सिंह मुण्डा पिता—जगरनाथ सिंह मुण्डा ने उदय महतो पिता—स्व0 छन्नु महतो को सन् 07/09/1957 ई0 को 60/— (साठ) रूपये सलामी/नजराना लेकर मौजा—डमारी, थाना—बुण्डू थाना— संख्या—16, खाता संख्या—17 प्लॉट संख्या—70, रकवा—34 डी0 जमीन को सादा दोवामी रैयती बन्दोवस्ती प्राप्त किये है। जो कि विपक्षी के द्वारा छो0 का0 अधि0 की धारा—240 की उलधन नहीं किया गया है। वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के द्वारा अपने समर्थन में निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया है :-1. सादा दोवामी रैयती बन्दोवस्ती पट्टा दिनांक 03/09/1952 ई0 की छायाप्रति। 2. सादा दोवामी रैयती बन्दोवस्ती पट्टा दिनांक 09/09/1957 ई0 की छायाप्रति। 3. लगान रसीद की छायाप्रति।

उभय पक्ष के बहस को सुनने एवं दाखिल किये गए कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि को आवेदक खतियानी रैयत के वंशज के आधार पर दावा कर रहे है एवं विपक्षी सादा दोवामी रैयती बन्दोवस्ती से प्राप्त करने के आधार पर दावा कर रहे है। प्रश्नगत भूमि मुण्डारी खुॅटकट्टी जमीन है, जो हस्तानान्तरण/बेदखल नहीं किया जा सकता है। छो० का० अधि० की धारा–240 का उलधंन किया गया है। अतः आवेदकगण के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

भ जतः आपदकर्गण के आवदन का स्वीकृत किया जाता है।

15.09,2020

विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि को एक माह के अन्दर आवेदक को वापस कर दें। अंचल अधिकारी बुण्डू को आदेश दिया जाता है कि यदि विपक्षी एक माह के अन्दर प्रश्नगत भूमि को वापस नहीं करते है तो दखल–देहानी दिलाकर वापस दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)।

8:309

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बुण्डू (राँची)।